# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 पार्ट                    जयपुर, दिनांक : 10.04.2013

1. **सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**
2. **सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।**
3. **सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।**
4. **सचिव, नगर सुधार न्यास, समस्त राजस्थान।**

**विषय : प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान विविध छूट दिए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी की अधिसूचनाएं।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान वित्त विभाग द्वारा जारी की गयी निम्न अधिसूचनाएं सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है :—

1. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी/टैक्स/12—08 दिनांक 09.04.2013 — धारा 90—ए/90—बी के अन्तर्गत नगर निकायों में निहित भूमि का नगर निकायों द्वारा आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क में दिनांक 30.06.2013 तक छूट बाबत्।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी/टैक्स/12—05 दिनांक 09.04.2013 — नगर निकायों या सरकार के अन्य निकायों/उपक्रमों द्वारा आवंटित/विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के संबंध में अवधिपार निष्पादित विलेखों के पुर्नवैध एवं पुनः निष्पादित होने के बाद पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क में दिनांक 30.06.2013 तक छूट बाबत्।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी/टैक्स/12—07 दिनांक 09.04.2013— नगर निकायों या सरकार के अन्य निकायों/उपक्रमों द्वारा आवंटित/विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित विलेखों के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क में दिनांक 30.06.2013 तक छूट बाबत्।
4. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(70)वित्त/कर/12—06 दिनांक 09.04.2013— राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि के गैर—कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) 2012 के अन्तर्गत दिये जाने वाले शपथ—पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दिनांक 30.06.2013 तक छूट बाबत्।
5. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(11)एफ.डी/टैक्स/2011—03 दिनांक 09.04.2013 — नगरपालिका संस्थाओं की ओर से रजिस्ट्रशन किये जाने वाले विलेख के साथ रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी के समक्ष व्यक्ति से उपस्थित होने से छूट बाबत्।
6. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(19)एफ.डी/टैक्स/2007—04 दिनांक 09.04.2013 — नगरीय निकायो द्वारा आवंटित एवं विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के अमुद्रांकित तथा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर हस्तान्तरण किये जाने पर अन्तिम क्रेता के नाम लीज डीड जारी होने की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी में दिनांक 30.06.2013 तक छूट बाबत्।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

**भवदीय,**

**(आर.के.पारीक)**
**संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित हैः–**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्त अधिसूचनाएं समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कराने का श्रम करें।

**संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय**

**राजस्थान सरकार**
**वित्त (कर) विभाग**

जयपुर, दिनांकः 09.4.2013

**अधिसूचना**

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.2(60) वित्त/कर/12–01 दिनाक 01.04.2013 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए या तत्समय प्रचलित धारा 90बी के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित भूमि का इन निकायों द्वारा सुसंगत विधि/नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों का पंजीयन दिनांक 30.06.2013 तक कराने की स्थिति में, स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगीः–

1. यदि पट्टा विलेख स्वयं खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 500/–रूपये देय होगी।
2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
3. उपरोक्त निकायो के द्वारा नियमन उपरान्त आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 व 25 के अनुसार निर्धारित 8 (आठ) माह की अवधि में पजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुर्नवैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 30.06.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विलेख/लिखत पर स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, पैनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत होगी एवं अदा की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12–08)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
13. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

F:\Rewenu 1\Notification_Hindi_A1.doc\18

**राजस्थान सरकार**
**वित्त (कर) विभाग**

जयपुर, दिनांकः 09.4.2013

**अधिसूचना**

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.2(60)वित्त/कर/12–02 दिनांक 01.04.2013 को अधिकमित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन के लिए निर्धारित समयावधि अर्थात् निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपक्रमों से पुर्नवैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 30.06.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेखों या लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी :–

| क.सं. | विवरण | देय स्टाम्प ड्यूटी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। | सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से। |
| 2. | विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात एवं चार माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। | सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए पतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से। |
| 3. | विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। | सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से। |

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत होगी एवं अदा की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नही होगा।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12–05)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
13. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

E:\Raman Ji\Notification_Hindi_A1.docx13

**राजस्थान सरकार**
**वित्त (कर) विभाग**

जयपुर, दिनांक: 09.4.2013

## अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.2(60)वित्त / कर / 12–02 दिनाक 01.04.2013 को अधिकमित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय / उपकम द्वारा आवंटित / विकय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों / लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दिनांक 30.06.2013 तक सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी:–

| क.सं. | विवरण | देय स्टाम्प ड्यूटी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | विलेख / लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर। | सरकार / स्थानीय निकाय / उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि पर कन्वेन्स की दर से। |
| 2. | विलेख / लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर। | सरकार / स्थानीय निकाय / उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से। |
| 3. | विलेख / लिखत निष्पादन की दिनांक से 4 माह पश्चात एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर। | सरकार / स्थानीय निकाय / उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से। |

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत होगी एवं अदा की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी. / टैक्स / 12–07)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
13. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

E:\Raman Ji\Notification Hindi A4.docx17

**राजस्थान सरकार**
**वित्त (कर) विभाग**

जयपुर, दिनांकः 09.4.2013

**अधिसूचना**

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतदद्वारा राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा हेतु नियम 4 के उप–नियम (1) या नियमितिकरण के लिए नियम 16 के उप–नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा 'प्रशासन शहरों के संग अभियान' के दौरान दिनांक 30.06.2013 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करती है।

(सं.एफ.2(70)वित्त / कर / 12–06)
राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
13. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

E:\Raman ji\Notification_Hindi_Ak.docx

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN**
**FINANCE DEPARTMENT**
**(TAX DIVISION)**

Jaipur, dated: 09.4.2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 88 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. XVI of 1908), the State Government hereby directs that it shall not be necessary for the Officers of Municipal Corporations, Municipal Councils and Municipal Boards competent to execute any instrument on behalf of Municipal Corporation, Municipal Council and Municipal Board, as the case may be, to appear in person before the Registering Officer in any proceedings connected with the registration of any instruments executed by him or in his favour in his official capacity.

[No.F.2(11)FD/Tax/2011-03]
By order of the Governor,

**(Aditya Pareek)**
Deputy Secretary to the Govt.

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(C) of extra ordinary gazette. Along with a soft copy in CD. It is requested 10 copies of this notification may sent to this department and 20 copies along with bill may be sent to Inspector General, Registration & Stamps, Raj. Ajmer. Please ensure that soft copy in CD is same as had copy provided to you for publication.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance Minister). Raj., Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Additional Chief Secretary, Urban Development, Housing and LSG Department.
5. Inspector General, Registration & Stamps, Raj., Ajmer.
6. Commissioner, Jaipur Development Authority, Jaipur.
7. Commissioner, Jodhpur Development Authority, Jodhpur.
8. Commissioner, Rajasthan Housing Board, Jaipur.
9. Director, LSG, Rjasthan, Jaipur.
10. PS to Pr. Secretary, Finance Department.
11. PS to Pr. Secretary, Law Department
12. PS to Secretary, Finance (Rev.) Department.
13. Director, Public Relation Department, Raj., Jaipur.
14. System Analyst, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
15. Guard File.

Deputy Secretary to the Govt.

E:\Ramzan Ji\Notification_Eng_.doc38

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN**
**FINANCE DEPARTMENT**
**(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, dated: 09.4.2013

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on every intermediary unregistered and unstamped instrument of transfer of immovable property executed after allotment/sale by Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trust, Municipal Corporation, Municipal Council or Municipal Board, shall be reduced and charged on amount of original allotment instead of market value of the property, on the following conditions that:-

(1) the leaseholder along with his lease deed shall submit a certificate before the Registering Officer issued by any of the above mentioned local authority stating therein the amount of original allotment, the number of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property;

(2) the Registering Officer shall ensure payment of above reduced stamp duty on every such intermediary unregistered and unstamped instrument before registering the lease deed; and

(3) on the basis of such intermediary unregistered and unstamped instrument the lease deed shall be executed and submitted for registration upto 30.06.2013.

[No.F.2(19)FD/Tax/2007-04]
By order of the Governor,

(Aditya Pareek)
Deputy Secretary to the Govt.

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(C) of extra ordinary gazette. Along with a soft copy in CD. It is requested 10 copies of this notification may sent to this department and 20 copies along with bill may be sent to Inspector General, Registration & Stamps, Raj. Ajmer. Please ensure that soft copy in CD is same as had copy provided to you for publication.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance Minister). Raj., Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Additional Chief Secretary, Urban Development, Housing and LSG Department.
5. Inspector General, Registration & Stamps, Raj., Ajmer.
6. Commissioner, Jaipur Development Authority, Jaipur.
7. Commissioner, Jodhpur Development Authority, Jodhpur.
8. Commissioner, Rajasthan Housing Board, Jaipur.
9. Director, LSG, Rjasthan, Jaipur.
10. PS to Pr. Secretary, Finance Department.
11. PS to Pr. Secretary, Law Department
12. PS to Secretary, Finance (Rev.) Department.
13. Director, Public Relation Department, Raj., Jaipur.
14. System Analyst, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
15. Guard File.

Deputy Secretary to the Govt.

E:\Ramzan Ji\Notification_Eng_doc39